

30/4/15 पत्रावली पेश हुयी। आधिकारिक
उभयपक्ष हाजिर हैं। प्रतिवादी सं.

२ व १ के समन पुनः इस

अभियुक्ति के साथ लोटे हैं कि-

'प्राप्तकर्ता इस पते पर नहीं
रखा है'। न्यायालय द्वारा

दिनांक २५/३/१५ को वादी को

आदेशित किया गया था कि

प्रतिवादीगणों के सही पते


के साथ सजि नोटिस समन

के लिए पेश करें।

न्यायालय आदेश के उपरान्त

भी वादी, प्रतिवादीगणों के

सही सजिस्टर्ड पता पेश करने


सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

म न्यायालय

बनाम
 द. म. ध. व. / श्री. श्री. श्री.

स संख्या

30/4/25

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	यालय क्रिया
	30/4/25	<p>में विफल रहा है।</p> <p>अतः न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से आदेश 6 नियम 14 क (5) CPC के प्रावधानों के तहत कार्यवाही रोक दी जाती है।</p> <p>सही पते का अनवान पेश होने पर काद में आगामी कार्यवाही हेतु वादी स्वतंत्र रहेगा।</p> <p>पत्रावली दाखिल पफतर हो</p>	<p>दिनांक</p> <p>व</p>

श्री. श्री. श्री.
 न्यायालय
 नयापुर शहर